



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 366 राँची, सोमवार,

21 जुलाई, 2025 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

8 जुलाई, 2025

विषय :- मोबाइल फोन की सुविधा के संबंध में ।

संख्या :- वित्त-7/विविध-2003/2009-1631/वि.--वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1855/वि0 दिनांक 31.07.2024 द्वारा राज्य सरकार के मंत्रीगण एवं विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिये मोबाइल फोन एवं रिचार्ज कूपन की अनुमान्यता के संबंध में निर्णय संसूचित है ।

2. उक्त संकल्प की कंडिका-5 जिसमें विभिन्न पदों के लिए मोबाइल सेट की अधिसीमा एवं रिचार्ज कूपन की अधिसीमा निर्धारित की गयी है, में अवर सचिव/सहायक निदेशक (निदेशालय मुख्यालय में)/प्रधान आप्त सचिव/कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी एवं अन्य सभी राजपत्रित पदाधिकारी के लिए मोबाइल सेट की अधिसीमा रु. 30,000/- एवं रिचार्ज कूपन की अधिसीमा रु. 750/- प्रतिमाह विनिश्चित है ।

3. उक्त संकल्प में राजपत्रित पदाधिकारियों की श्रेणी को स्पष्ट करने हेतु विभिन्न विभागों से वित्त विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

4. अतः सम्यक विचारोपरान्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1855/वि0 दिनांक 31.07.2024 की कंडिका-5 में अंकित 'अन्य सभी राजपत्रित पदाधिकारी' को 'राजपत्रित पदाधिकारी (Pay Matrix Level-9 से अन्यून)' से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

5. उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-5 की तालिका के अंत में निम्न पंक्ति अंतःस्थापित करने का निर्णय लिया गया है-

<u>पद जिन्हें मोबाईल अनुमान्य है</u>	<u>मोबाईल सेट की अधिसीमा</u>	<u>रिचार्ज कूपन की अधिसीमा</u>
Pay Matrix Level-9 से न्यून राजपत्रित पदाधिकारी	रु0 25,000/-	रु0 500/-प्रतिमाह

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1855/वि0 दिनांक 31.07.2024 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा ।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1407/वि. दिनांक 18.06.2025 के क्रम में दिनांक 20.06.2025 की बैठक में मद संख्या-14 में प्राप्त है ।

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।
